न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना—कुचामन

पीठासीन अधिकारी—श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या— 25 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 197

निगरारीकार

महावीर कुकणा सरपंच ग्राम पंचायत बुडसू तसहील मकराना जिला डीडवाना—कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. भंवर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी छापरी कलां तहसील डीडवाना।
2. मानकंवर पत्नी जीवण सिंह निवासी जगमालतो की ढाणी, बुडसम तहसील मकराना।
3. मोहन कंवर पत्नी नारायण सिंह निवासी ढीगाला तहसील डीडवाना।
4. सायर कंवर पत्नी उम्मेद सिंह निवासी जगमालतो की ढाणी, बुडसम तहसील मकराना।
5. सुप्यार कंवर पत्नी भंवर सिंह निवासी कणवाई तहसील डीडवाना।
6. किशन कंवर पत्नी भागीरथ सिंह निवासी डसाण तहसील डीडवाना।
7. लिछमा कंवर पत्नी उगम सिंह निवासी बुडसू तहसील मकराना।
8. मुराद खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना।

निगरानी अधीन धारा 97 पंचायत राज. अधिनियम बाबत् निरस्त करने पट्टा दिनांक 05.02.1972 पट्टा संख्या 25 मिसल संख्या 24 / 1972 पंचायत समिति मकराना एवं ग्राम पंचायत बुडसू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मर्यादा अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 11.06.2024

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 के तथ्य [illegible] प्रकार है कि—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:38 IST
Reason: SelfAttested

1. ग्राम पंचयात बुडसू में एक सार्वजनिक [illegible] हेतु एक [illegible] में सार्वजनिक भूमि अवस्थित है। जिसके उत्तर में पुलिस चौकी का [illegible], पूर्व में बुडसू से भरणायी जाने का रास्ता, दक्षिण में [illegible] पश्चिम में सुवालाल, हणमान, धीसालाल व सुरजालाल की जमीन के मध्य सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्राम

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

पंचायत बुडसू की जमीन अवस्थित है जिस पर ग्राम पंचायत बनने के बाद से ही निरन्तर ग्राम पंचायत का कब्जा निर्बाध रूप से रहा हैं। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत में दिनांक 07.09.2020 को उक्त पट्टा प्रमाणित करवाने हेतु पेश किया तब प्रार्थी/निगरानीकार को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी के पास बिना रिकॉर्ड का एक पट्टा है। जिससे प्रार्थी को दिनांक 03.09.2020 को ही उक्त पट्टे की जानकारी हुई। उससे पहले किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जिससे उक्त अपील में हुई देरी माफी योग्य हैं जिससे कंडोन किये जाने का आदेश पारित किया जावे। जिससे अपील अन्दर मयाद शामिल किये जाने योग्य है।

2. प्रार्थी ने जानबुझकर किसी प्रकार की कोई देरी नही की हैं अपितु अज्ञानतां के कारण समय पर अपील पेश नहीं कर पाये।

अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त निगरानी को अन्दर मयाद शामिल किये जाने का सादर आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का पद जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है पट्टा संख्या 25 मिसल संख्या 24/1972 नियमानुसार पट्टा बना हुआ हैं तथा उक्त जायगा पर ग्राम पंचायत का कभी भी कब्जा नहीं रहा है उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत में रेकार्ड भी उपलब्ध है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.03.2014 को प्रमाणित प्रति जारी की गई है तब से ही निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी थी, इसजिए उक्त अपील/निगरानी अन्दर मयाद नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र का पद गलत वर्णित होने से अस्वीकार है ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.03.2014 को प्रमाणित प्रति जारी की गई तब से उक्त पट्टे की जाकारी थी इसजिए डिले कन्डोन किये जाने योग्य नहीं है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि निगरानी अन्दर मयाद नहीं होने से खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

उभयपक्ष की बहस का मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.02.1972 को ग्राम पंचायत बुडसू द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 21.12.2020 को उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई अर्थात निगरानी प्रस्तुत करने में लगभग 48 वर्ष के विलम्ब से उक्त निगरानी को प्रस्तुत किया गया। निगरानीकार द्वारा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत 48 वर्ष विलम्ब के लिए प्रमुख कारण यह बताया गया कि ग्राम पंचायत बनने के बाद से ही निरन्तर उक्त पट्टा [illegible] पंचायत का कब्जा निर्बाध रूप से रहा हैं। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत में [illegible] 2020 को उक्त पट्टा प्रमाणित करवाने हेतु पेश किया तब प्रार्थी/निगरानीकार [illegible] यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी के पास बिना रिकॉर्ड का एक पट्टा है। जिससे प्रार्थी को दिनांक 03.09.2020 को ही उक्त पट्टे की जानकारी हुई। उससे पहले किसी प्रकार की [illegible] जानकारी नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह भी सिद्व हो रहे है कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत से दिनांक 28.03.2014 को प्रमाणित प्रतिलिपि ली तब से पट्टे की जानकारी है।

धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत विलम्ब को कन्डोन (Condone) किये जाने के प्रावधान है परन्तु प्रत्येक दिन के विलम्ब को न्यायोचित कारणों से सिद्व किया जाना आवश्यक है। निगरानीकार द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक की अवधि में विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं अवगत कराया गया।

अतः प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी में 48 वर्ष के विलम्ब को माफ (Condone) नहीं किया जा सकता। लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 11.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.19 10:21:38 IST
Reason: SelfAttested